[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2021- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे)

नई दिल्ली, 10 नवंबर, 2021

सा.का.नि........(अ)........— केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम 9 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा उक्त नियम के संचालन से, पेट्रोलियम क्रूड जो की केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 2709 00 10 के अंतर्गत आती है (इसके बाद विनिर्दिष्ट माल के रूप में संदर्भित) , के निर्माण या उत्पादन में लगी प्रत्येक विनिर्माण इकाई, को छूट देता है जहां ऐसे मालों के निर्माता के पास विभिन्न इकाइयों या परिसरों द्वारा निर्मित या उत्पादित विनिर्दिष्ट माल के संबंध में एक केंद्रीकृत बिलिंग या लेखा प्रणाली है जहां से ऐसी केंद्रीकृत बिलिंग या लेखाकरण किया जाता है और केवल उस इकाई या परिसर या कार्यालय को पंजीकृत करने का विकल्प है।

बशर्ते कि ऐसे पंजीकरण प्राप्त करने के बाद किसी भी अतिरिक्त परिसर में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले पूर्व सूचना दी जाएगी।

[फा.सं. 116/40/20-सीएक्स-3]

(वरुण कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार